

महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल
Office of the Accountant General (Audit II), Kerala

प्रेस ब्रीफ / Press Brief

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट - केरल सरकार (2025 की रिपोर्ट संख्या 6), भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार दि. **24 फरवरी 2026** को केरल विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

The Combined Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2023 – Government of Kerala (Report No.6 of 2025) has been laid on the table of the Kerala Legislature on **24 February 2026** in accordance with Article 151(2) of the Constitution of India.

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है। रिपोर्ट के भाग I राज्य माल एवं सेवा कर, मोटर वाहन कर, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क सहित राजस्व क्षेत्र के तहत लेखापरीक्षा टिप्पणियां अंतर्विष्ट करता है जिसमें ₹1,671.25 करोड़ के राजस्व प्रभाव से युक्त दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित 21 अनुच्छेद शामिल हैं।

The Combined Report of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended March 2023 has been divided into two parts. Part I of the Report covers Audit Observations under Revenue Sector including State Goods and Services Tax, Motor Vehicles Tax, Excise duty, and Stamp duty and Registration fees containing 21 paragraphs including two Subject Specific Compliance Audits involving revenue impact of ₹1,671.25 crore.

रिपोर्ट के भाग II चयनित कार्यक्रमों और गतिविधियों की लेखापरीक्षा और चार सरकारी विभागों, अर्थात् लोक निर्माण, वन और वन्यजीव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उनके अंतर्गत स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

Part II of the Report relates to matters arising from audit of selected programmes and activities and compliance audit of four Government Departments, viz., Public Works, Forest and Wildlife, Environment and Climate Change, Science and Technology, and Autonomous Bodies under them.

रिपोर्ट में विशेष प्रकाश डाले गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश नीचे दिया गया है:

The summary of important points highlighted in the Report is given below:

भाग I : राजस्व क्षेत्र

PART I : Revenue Sector

सामान्य / General

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1,32,724.66 करोड़ रुपये थीं, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 13.79 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती हैं। राज्य का अपना राजस्व ₹87,086.12 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 66 प्रतिशत) था; भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹45,638.54 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 34 प्रतिशत) था।

Total revenue receipts of the State Government for the year 2022-23 amounted to ₹1,32,724.66 crore showing a growth rate of 13.79 per cent over previous year 2021-22. The State's own revenue was ₹87,086.12 crore (66 per cent of total receipts); the share of receipts from Government of India was ₹45,638.54 crore (34 per cent of total receipts).

(पैराग्राफ/ Paragraph 1.1.1)

पिछले वर्ष 2021-2022 की तुलना में निजी राजस्व (निजी कर और करेतर राजस्व) की वृद्धि दर 26.57 प्रतिशत थी।

Rate of growth of Own Revenue (Own Tax and Non-tax Revenue) was 26.57 over the previous year 2021-2022.

(पैराग्राफ/ Paragraph 1.1.4)

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों पर राजस्व की बकाया राशि ₹28,398.10 करोड़ रुपये की थी, जो राज्य के कुल राजस्व का 21.40 प्रतिशत है।

Arrears of revenue on some principal heads of revenue amounted to ₹28,398.10 crore, which is 21.40 per cent of the total revenue of the State.

(पैराग्राफ/ Paragraph 1.2)

माल एवं सेवा कर और बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर

Goods and Services Tax & Taxes/ VAT on Sales, Trade, etc.

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए ' जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी'

'Department's oversight on GST payments and Return filing' for the year 2018-19 to 2020-21

विवरणियों की संवीक्षा में विलंब के कारण 364 मामलों की नमूना जांच से 44 मामलों में ₹103.67 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान प्रकट हुआ। 229 मामलों में ₹683.50 करोड़ रुपये की अल्प उगाही के साथ 271 मामलों में अधिनियम से विचलन देखा गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा 13 मामलों में ₹139.47 करोड़ रुपये के अनियमित दावे, 22 मामलों में ₹136.98 करोड़ रुपये के गैर या अल्प उत्क्रमण, 15 मामलों में इनपुट सेवा वितरण के माध्यम से ₹188.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त क्रेडिट और 51 मामलों में पात्रता से परे ₹291.75 करोड़ रुपये के क्रेडिट का लाभ उठाना आदि देखा गया। लेखापरीक्षा द्वारा 37 मामलों में ₹33.42 करोड़ रुपये के कर प्रभाव से जुड़ी कर देयता के निर्वहन में अनुपालन विसंगतियों की 55 घटनाएं देखी गयीं।

Test check of 364 cases revealed revenue loss of ₹103.67 crore in 44 cases due to delayed scrutiny of returns. Deviations from the Act were noticed in 271 cases, with short levy of ₹683.50 crore in 229 cases. In respect of Input Tax Credit, Audit noticed irregular claims in 13 cases amounting to ₹139.47 crore, non or short reversal in 22 cases amounting to ₹136.98 crore, excess credit through Input Service Distribution in 15 cases amounting to ₹188.89 crore, and availing credit beyond eligibility in 51 cases amounting to ₹291.75 crore. Audit observed 55 instances of compliance discrepancies in the discharge of tax liability involving tax effect of ₹33.42 crore in 37 instances.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.4)

विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिक्री के लिए कुल आय पर निर्धारित दर पर कर की उगाही में चूक के परिणामस्वरूप ₹0.58 करोड़ के कर और ब्याज की अल्प उगाही हुई।

Omission to levy tax on turnover at the scheduled rate for sales to Special Economic Zone resulted in short levy of tax and interest amounted to ₹0.58 crore.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.5)

इनपुट टैक्स क्रेडिट के अयोग्य अनुदान के परिणामस्वरूप ₹0.92 करोड़ की कर और ब्याज की अल्प उगाही हुई।

Ineligible grant of Input Tax Credit resulted in short levy of tax and interest amounting to ₹0.92 crore.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.7)

वाहनों पर कर / Taxes on Vehicles

परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति / विलंबित नवीनीकरण पर ₹8.82 करोड़ की राशि के दंड और अतिरिक्त शुल्क की गैर-वसूली।

Non realisation of Penalty and Additional fee on expiry of/ belated renewal of Certificate of Fitness of Transport vehicles amounting to ₹8.82 crore.

(पैराग्राफ/ Paragraph 3.4)

जांच चौकी पर जारी अस्थायी / विशेष परमिट के लिए ₹4.24 करोड़ के सेवा प्रभार का गैर-संग्रहण।

Non-collection of service charge for temporary/ special permits issued at Check posts amounting to ₹4.24 crore.

(*पैराग्राफ / Paragraph 3.5*)

राज्य आबकारी / State Excise

राज्य आबकारी विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां

Enforcement Activities of the State Excise department

आबकारी / नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों (एनडीपीएस) अपराधों की जांच पूरी करने में प्रक्रियात्मक चूक / देरी देखी गई। 1,596 मामलों में एनडीपीएस अपराधों के पता लगने पर सभी प्रासंगिक धाराओं को लागू नहीं किया गया था। ताड़ी के परिवहन के लिए अतिरिक्त परमिट शुल्क का गैर-संग्रहण ₹8.31 करोड़ की राशि के बराबर था; लाइसेंसधारी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के बहाने विदेशी शराब लाइसेंस के अंतरण के कारण लाइसेंस शुल्क में ₹0.64 करोड़ की अल्प उगाही थी।

Procedural lapses/ delays in completion of investigation of Abkari/ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) offences observed. Non invoking of all relevant sections on detection of NDPS offences was noticed in 1,596 cases. Non collection of Additional Permit fee for transport of toddy amounted to ₹8.31 crore; short levy of licence fee due to transfer of Foreign Liquor license in the guise of reconstitution of Director Board of the licensee amounted to ₹0.64 crore.

(*पैराग्राफ / Paragraph 4.4*)

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

Stamp duty and Registration fees

भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹0.33 करोड़ के राजस्व का अल्प संग्रहण / हानि।

Short collection/ loss of revenue due to misclassification of land amounting to ₹0.33 crore.

(*पैराग्राफ / Paragraph 5.4*)

भाग II: आर्थिक सेवाएं

PART II: Economic Services

सामान्य / General

कुल पूंजीगत बजट प्रावधान ₹3,551.65 करोड़ था। विभागों द्वारा ₹2,919.08 करोड़ (82.18 प्रतिशत) उपगत किया गया। कुल राजस्व बजट प्रावधान ₹4,640.15 करोड़ था और विभागों द्वारा ₹3,664.71 करोड़ (78.98 प्रतिशत) उपगत किया गया।

The total capital budget provision was ₹3,551.65 crore. An expenditure of ₹2,919.08 crore (82.18 per cent) was incurred by the Departments. The total revenue budget provision was ₹4,640.15 crore and an expenditure of ₹3,664.71 crore (78.98 per cent) was incurred by the Departments.

(पैराग्राफ/ Paragraph 1.1)

परिवहन विभाग / Transport Department

केआरएसए द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने के बजाय केआरएस फंड के बैंक खाते में ₹100 करोड़ रुपये से अधिक का सड़क सुरक्षा निधि जमा की गयी थी। वाहन मालिकों से एकमुश्त उपकर और सड़क सुरक्षा निधि में संयुक्त शुल्क का गैर-अंतरण / अल्प अंतरण सड़क सुरक्षा निधि के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हानिकारक है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए अल्प अंतरण ₹27,930.88 लाख रुपये का था।

Road safety fund of more than ₹100 crore was parked in the bank account of KRS Fund, instead of allocating funds for projects approved by KRSA. Non-transfer/ short transfer of one-time Cess from vehicle owners and compounded fee to Road Safety Fund is detrimental to the achievement of overall objectives of Road Safety Funds. The short transfer for the period 2018-19 to 2022-23 amounted to ₹27,930.88 lakh.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.1)

वन और वन्यजीव विभाग

Forest and Wildlife Department

निर्धारित कार्य योजनाओं का पालन न करना और वृक्षारोपण और अनुरक्षण गतिविधियों में कमियों के कारण सागौन वृक्षारोपण प्रबंधन में चूक हुई। इन चूकों में चबूतर संरचनाओं की कमी, समय-समय पर मरम्मत का अभाव, खरपतवारों को हटाना, पेड़ों के निर्धारित अंतराल का उल्लंघन, यांत्रिक / सिल्वीकल्चर थिनिंग में देरी, चयनित कटाई का संचालन नहीं करना, परिपक्व सागौन वृक्षों का निष्कर्षण नहीं करना और छेदक कीड़ों के हमले को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई की कमी शामिल है। वृक्षारोपण पत्रिकाओं और वृक्षारोपण पत्रिकाओं में प्रविष्टियों का न होना वृक्षारोपण गतिविधियों के अनुवीक्षण को प्रभावित करता है।

Non-adherence to prescribed working plans and deficiencies in plantation and maintenance activities led to lapses in teak plantation management. These lapses included lack of platform formations, absence of periodical maintenance, weed removal, violating the prescribed spacing of trees, delayed mechanical/ silviculture thinning, non-conduct of selected felling, non-extraction of matured teak plantation and lack of timely action to prevent borer attack. Absence of plantation journals and entries in plantation journals affects the monitoring of plantation activities.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.2)

लोक निर्माण विभाग / Public Works Department

विभागीय रूप से जारी मलबे की लागत की वसूली करते समय लागत सूचकांक लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹56.98 लाख रुपए का अनुचित लाभ हुआ था।

Failure to apply cost index while recovering the cost of departmentally issued rubble resulted in undue gains to the contractor amounting to ₹56.98 lakh.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.3)

केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट परियोजना ने आबंटन की तारीख से चार साल बाद भी ₹32.27 करोड़ रुपये (12.40 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) के मध्यस्थता निर्णय को वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

Kerala State Transport Project failed to initiate action to realise arbitral award amounting to ₹32.27 crore (including interest of ₹12.40 crore) even after four years from the date of award.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.4)

---X---X---